न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—05/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. नीरज कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
—वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र स्व.मोहनलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
2. गुरदत्त पुत्र स्व.मोहनलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
3. एसबीबीजे शाखा संगरिया
4. ओबीसी शाखा संगरिया।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
6. इन्दूबाला पुत्री कालूराम पति नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 7 डीएलपी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़। —प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री रामनिवास बेदी अधिवक्ता वादी
श्री भीमसिंह छिम्पा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1—2
श्री संजीव विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069—2072 के खाता संख्या 83/64 में 1.392 है. व इसी चक के खाता संख्या 17/13 में 3.542 है.भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम बहिब इसी अनुसार चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068—2071 के खाता संख्या 63/61 में 3.113 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी है। उपरोक्त भूमि की चालू जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को विरास्तन स्व.दादा मोहनलाल पुत्र हीराराम से प्राप्त हुई है जिसका विवरण जमाबन्दी में अंकित है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि में मिन वादी का पैतृक हक व हिस्सा पैदाईशी बनता है तथा वादी वाद भूमि में पैतृक हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बीच अच्छी—मन्दी भूमि को लेकर बाजार भाव को ध्यान में रखकर रास्ता,खाला व काश्त की सुविधानुसार घराघरू बाह्मी बंटवारानामा हो चुका है। बाह्मी बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने चक नं. 9 एनकेआर के खाता संख्या 83/64 में अपना—अपना तमाम हिस्सा 1.392 है. वादी के पक्ष में व इसी चक के खाता संख्या 17/13 में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना तमाम हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के पक्ष में व चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 63/61 में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना तमाम हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 गुरदत्त के पक्ष में छोड़ दिया है। घरू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वादी नीरज कुमार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः—
चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 83/64 के प.नं. 127/153 मु.नं. 26 कि.नं. 20/1/0.127,21/0.253,22/0.253,प.नं.127/154 मु.नं. 35 कि.नं. 1—2—3/0.759 कुल 1.392 है.।

प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः—
चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 17/13 के प.नं. 128/152 मु.नं. 24 कि.नं. 1/0.253, 7 ता 14/0.253 प्रत्येक, 17 ता 20/0.253 प्रत्येक, 15/0.228, गैर मुमकिन 0.025 है.कुल 3.542 है. मय गैर मुमकिन।

प्रतिवादी संख्या 2 गुरदत्त के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 63/61 के प.नं. 136/177 मु.नं. 9 कि.नं. 21/1/0.152, प.नं. 136/178मु.नं. 20 कि.नं. 1/0. 228,गैर मुमकिन 0.025,2 ता 4 /0.228 है. प्रत्येक,8 मा 13 ,20,21 प्रत्येक 0.253 कुल 3.113 है. मय गैर मुमकिन।

उपरोक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की हिस्सा मुताबिक बंटवारा में आयी भूमि पर शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त को लेकर आज कोई विवाद नहीं है।

वादभूमि घरू बंटवारानामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण बिना बजह सींव बट,रकम राज आबयाना व पानी की बारी इत्यादि को लेकर बिना बजह विवाद रहता है,जबकि वादी अपने हक व हिस्सा अनुसार वाद भूमि में विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

वादपत्र दायर से पूर्व एक सप्ताह वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो घरू बंटवारा अनुसार वादभूमि राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी के नाम दर्ज करवा देवे तो वो पहले तो आजकल–आजकल करते परन्तु बाद में स्पष्ट इन्कार हो गये,बस यही वादकारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत होकर इकबालदावा मय जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। श्री संजीव विश्नोई एडवोकेट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी इन्दूबाला पुत्री कालूराम की ओर से पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र पर अनापति के हस्ताक्षर किये जिसे स्वीकार किया जाकर इन्दूबाला पुत्री कालूराम को बतौर प्रतिवादी संख्या 6 संयोजित किया गया। पक्षकार बनने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 6 इन्दूबाजा की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया जिसकी पहचान श्री संजीव विश्नोई एडवोकेट ने की। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाबदावा पेश जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी स्वयं को होकर प्राप्त हुई है,उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी नीरजकुमार का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया तथा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 3 करवाई गयी। सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू से जारी पारिवारिक सदस्य प्रमाण–पत्र मूल ही पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी की सहमति का शपथ–पत्र मय आईडी की प्रति के पेश किया गया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहनलाल पुत्र हीराराम के नाम की जमाबन्दी चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 83/64, इसी चक के खाता संख्या 17/12 जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 तथा चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 83/81 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रति पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किया गया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहनलाल पुत्र हीराराम के नाम की जमाबन्दी चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 83/64, इसी चक के खाता संख्या 17/12 जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 तथा चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 83/81 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 83/64 में 1.392 है. व इसी चक के खाता संख्या 17/13 में 3.542 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम बहिब इसी अनुसार चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 63/61 में 3.113 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम बहिब दर्ज

राजस्व रिकार्ड है व पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहनलाल पुत्र हीराराम के नाम की जमाबन्दी चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 83/64, इसी चक के खाता संख्या 17/12 जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 तथा चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 83/81 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति का इकबाल दावा मय जवाबदावा पेश किया है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के इकबाल दावा मय जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के इकबाल दावा मय जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 83/64 में 1.392 है. व इसी चक के खाता संख्या 17/13 में 3.542 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम बहिब इसी अनुसार चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 63/61 में 3.113 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है। घरू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वादी नीरज कुमार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 83/64 के प.नं. 127/153 मु.नं. 26 कि.नं. 20/1/0.127,21/0.253,22/0.253,प.नं.127/154 मु.नं. 35 कि.नं. 1–2–3/0.759 कुल 1.392 है.।

प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 17/13 के प.नं. 128/152 मु.नं. 24 कि.नं. 1/0.253, 7 ता 14/0.253 प्रत्येक, 17 ता 20/0.253 प्रत्येक, 15/0.228, गैर मुमकिन 0.025 है.कुल 3.542 है. मय गैर मुमकिन।

प्रतिवादी संख्या 2 गुरदत्त के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 63/61 के प.नं. 136/177 मु.नं. 9 कि.नं. 21/1/0.152, प.नं. 136/178मु.नं. 20 कि.नं. 1/0. 228,गैर मुमकिन 0.025,2 ता 4 /0.228 है. प्रत्येक,8 मा 13 ,20,21 प्रत्येक 0.253 कुल 3.113 है. मय गैर मुमकिन।

चक नं. 9 एनकेआर के खाता संख्या 83/84 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.392 है. नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त चक से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर 1.392 है. आराजी का वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारों के नाम से अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–05/2019

1. नीरज कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
–वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र स्व.मोहनलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
2. गुरदत्त पुत्र स्व.मोहनलाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
3. एसबीबीजे शाखा संगरिया
4. ओबीसी शाखा संगरिया।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
6. इन्दूबाला पुत्री कालूराम पति नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 7 डीएलपी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री भीमसिंह छिम्पा व श्री संजीव विश्नोई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 83/64 में 1.392 है. व इसी चक के खाता संख्या 17/13 में 3.542 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम बहिब इसी अनुसार चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 63/61 में 3.113 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है। घरू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वादी नीरज कुमार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–
चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 83/64 के प.नं. 127/153 मु.नं. 26 कि.नं. 20/1/0.127,21/0.253,22/0.253,प.नं.127/154 मु.नं. 35 कि.नं. 1–2–3/0.759 कुल 1.392 है.।

प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–
चक नं. 9 एनकेआर जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 17/13 के प.नं. 128/152 मु.नं. 24 कि.नं. 1/0.253, 7 ता 14/0.253 प्रत्येक, 17 ता 20/0.253 प्रत्येक, 15/0.228, गैर मुमकिन 0.025 है.कुल 3.542 है. मय गैर मुमकिन।

प्रतिवादी संख्या 2 गुरदत्त के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–
चक नं. 11 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 63/61 के प.नं. 136/177 मु.नं. 9 कि.नं. 21/1/0.152, प.नं. 136/178मु.नं. 20 कि.नं. 1/0. 228,गैर मुमकिन 0.025,2 ता 4 /0.228 है. प्रत्येक,8 मा 13 ,20,21 प्रत्येक 0.253 कुल 3.113 है. मय गैर मुमकिन।

चक नं. 9 एनकेआर के खाता संख्या 83/84 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.392 है. नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता ह। उक्त चक से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर 1.392 है. आराजी का वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार

राजस्व अभिलेख में पक्षकारों के नाम से अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत्............निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया